Email

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/बी–1/1/ख/29/विविध/8254 भोपाल दिनांक 26/10/2021

प्रति,

1– संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल/नर्मदापुरम्/उज्जैन/
रीवा/सागर/ ग्वालियर/चंबल/जबलपुर, इन्दौर ।

2– कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग भोपाल/भोपाल संभाग
कमांक–02/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर
/सागर/रीवा/ होशंगाबाद/सिवनी/मुरैना/खरगोन/मंदसौर।

3– भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
––––––––– जिला–––––––––(समस्त)

विषय :– म .प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय में कार्यरत सेवको की वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :– 01 म. प्र. शासन वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 833/2020/नियम/चार दिनांक 27.07.2020

02 म. प्र. शासन वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29.07.2020

03 म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का आदेश कमांक बोर्ड कार्मिक/ख/432 पार्ट/1891–1892 दिनांक 23.07.2020, कमांक बोर्ड कार्मिक/ख/433 पार्ट/ 1939–1940 दिनांक 23.07.2020 एवं आदेश कमांक 1978 दिनांक 24.07.2020

04 म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की टीप कमांक बोर्ड कार्मिक/ख/432 पार्ट/2062 दिनांक 29.07.2020

05 म. प्र. शासन वित्त विभाग का ज्ञाप 1259/2021/नियम/चार दिनांक 26.07.2021

म. प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 1879/ 1072/ 2021/ नियम /चार दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के अनुसार समस्त शासकीय सेवकों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणाम स्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर (50:%+50%:) किश्तों में निम्नानुसार किये जाने के निर्देश जारी किये गये है, उक्त ज्ञाप की छायाप्रति संलग्न है :–

(1) **प्रथम किश्त का भुगतान नवंबर 2021 में,**
(2) **द्वितीय किश्त का भुगतान मार्च 2022 में,**

2/ दिनांक 01 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहे शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जावे।

अतः उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम मे आंचलिक मण्डी बोर्ड कार्यालय, तकनीकि कार्यालयों, कृषि उपज मण्डी समितियों में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को दिनांक 01.जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणाम स्वरूप देय एरियर्स का भुगतान तदनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

26.10.21

(डॉ. एस. बी. सिंह)
अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी—1/1/ख/29/विविध/8245 भोपाल दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपि :—

अपर संचालक (वित्त) म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

26.10.21

अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 1879 /1072/2021/नियम/चार/भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर,2021

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- शासकीय सेवकों को जुलाई 2020/ जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान।

संदर्भ:-(i) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 898/2020/ नियम/चार दिनांक 29.07.2020

(ii) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1259/2021/ नियम/चार दिनांक 26.07.2021

---00---

संदर्भित आदेश क्रमांक (i) में दिनांक 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुये वास्तविक वित्तीय लाभ के लिये पृथक से आदेश जारी करने का लेख था। संदर्भित आदेश क्रमांक (ii) के द्वारा जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की काल्पनिक वेतनवृद्धि को वास्तविक रूप से जुलाई 2021 अथवा जनवरी 2022 की वेतनवृद्धि के साथ स्वीकृत किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के परिणाम स्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर (50%+50%) किश्तों में निम्नानुसार किया जाये :-

(i). प्रथम किश्त का भुगतान माह नवम्बर 2021 में

(ii). द्वितीय किश्त का भुगतान माह मार्च 2022 में

3/ दिनांक 1 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहें शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाये।

4/ राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम/निगम/मण्डल/ स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/ आयोग/विश्वविद्यालय/ संस्थाओं आदि के कर्मचारियों तथा स्थायीकर्मी एवं संविदा पर नियोजित सेवायुक्तों, जिन्हें वेतनवृद्धि दी जाती है, के संबंध में आदेश दिनांक 30.07.2020 से समुचित निर्देश जारी करने हेतु लेख किया गया था। वर्णित श्रेणियों के लिये उपर्युक्त पैरा 2 एव 3 अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

निरंतर...2

9 Order - 149

पृष्ठा. क्रमांक 1880/1072/2021/नियम/चार/भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर,2021

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
5. सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
6. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. सचिव,लोक सेवा आयोग, इन्दौर
8. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
13. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
18. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
19. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
21. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
22. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

22/10/2021

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग